L073/3147/15
22/01/2015

उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग–6
संख्या–2-69/अड़तीस–6–15–32एसजीएसवाई/2010
लखनऊः दिनांकः 15 जनवरी, 2015

आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, शिविर कार्यालय 20-1-15
314/PA/ac/15
39

कार्यालय–ज्ञाप

भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (N.R.L.M.) के कियान्वयन हेतु मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम के प्रस्ताव दिनांक–10.01.2014 के संबंध में ''उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सोसाइटी'' की गवर्निंग बाड़ी की पंचम बैठक दिनांक–19.07.2013 तथा षष्ठम बैठक दिनांक–31.10.2013 में लिए गये निर्णयों के अनुकम में कमशः प्रदेश के इन्टेन्सिव रूप से चयनित 88 विकास खण्डों तथा नॉन इन्टेन्सिव रूप से चयनित 734 कुल–1644 विकास खण्डों हेतु प्रति विकास खण्ड 02 पद की दर से कुल 1644 कम्यूनिटी कोआर्डिनेटर के अस्थाई पदों के निम्नानुसार सृजन हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र0 सं0	पद का नाम	पदों की संख्या	शैक्षिक योग्यता	अन्य योग्यता	वेतन	नियुक्ति की प्रकृति
1	कम्यूनिटी को–आर्डिनेटर	02 पद प्रति विकास खण्ड की दर से (88 इन्टेन्सिव विकास खण्ड हेतु–176 तथा 734 नॉन इन्टेन्सिव विकास खण्ड हेतु–1468) कुल पद–1644	पुरूष अभ्यर्थियों हेतु–स्नातक। महिला अभ्यर्थियों हेतु– इन्टर मीडिएट।	स्वयं सहायता समूहों के साथ कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता।	रू0 8000.00 से रू0 10,000.00 प्रति माह नियत वेतन।	सेवा प्रदाता द्वारा नियमानुसार।

MD (NRLM)
20/1/15
(कामरान रिजवी)
आयुक्त
ग्राम्य विकास उ0प्र0

2– कम्यूनिटी कोआर्डिनेटर के वेतन इत्यादि पर होने वाला व्यय एनआरएलएम/एनआरएलपी के प्रशासनिक मद से नहीं बल्कि इन्स्टीट्यूशन बिल्डिंग एवं कैपिसिटी बिल्डिंग से किया जायेगा एवं इस हेतु प्रत्येक वर्ष मिशन द्वारा अपनी वार्षिक कार्य योजना में समाहित कर भारत सरकार से औपचारिक अनुमति ली जाती है। एनआरएलएम/एनआरएलपी कार्यकम पर व्यय होने वाली समस्त धनराशि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वित्त पोषित की जाती है।

77/MD/15
JMD(R)

3– योजना व पदों पर व्यय भारत सरकार की गाइड लाइन्स व कास्ट नार्म्स के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का विचलन नहीं किया जायेगा।

21-01-15
(डा0 आदर्श सिंह)
मिशन निदेशक
यू0पी0एस0आर0एल0एम0
लखनऊ

4– **उक्त पदों पर नियुक्ति सेवा प्रदाता के माध्यम से (अधिकतम एक वर्ष के लिए) की जायेगी। उक्त पदों का प्रस्तावित वेतन भारत सरकार की गाइड लाइन एवं कास्ट नार्म्स में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप होगा।**

5– नॉन–इन्टेन्सिव विकास खण्डों में कम्यूनिटी कोआर्डिनेटर की तैनाती चरणों में योजना की सफलता और उपलब्धि को देखते हुए नियमानुसार की जाएगी।

6– पदों की जो अर्हतायें निर्धारित की गई हैं उनमें कोई शिथिलीकरण नहीं प्रदान किया जायेगा और चयन की प्रकिया पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता से निष्पादित की जायेगी।

SPM(HR)
कृ0 नियमानुसार प्रक्रिया आरम्भ कर दें।

u098

(एस0एच0 रिज़वी)
मिशन निदेशक

7– सी0ई0ओ0 को समस्त वित्तीय/प्रशासनिक अधिकार होंगे, जिसका आवश्यकतानुसार प्रतिनिधायन उनके द्वारा अतिरिक्त सी0ई0ओ0/मिशन निदेशक तथा जिले एवं ब्लाक के पदाधिकारी को किया जा सकेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0प0संख्या–ई–2–1049/दस–2014, दिनांक–12 जनवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

दीपक त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

संख्या–2-69 (1)/अड़तीस–6–2015–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

(1) सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
(2) कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(3) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) मण्डलायुक्त–सम्बन्धित मण्डल।
(7) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/पी.डी./डी.डी.ओ/खण्ड विकास अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
(8) कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
(9) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(10) वित्त(व्यय–नियंत्रण)अनुभाग–2/3/वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
(11) बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(12) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।